संख्या-6/2015/सीपी 193/84-2-2015-सीपी 22/88

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2015

विषय उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित पदों (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0-03) का सततीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5664/एससीडीआरसी/यू0पी0/अधि0 32/91-पार्ट-2, दिनांक 26 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित संलग्न सूची में उल्लिखित अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-48/सीपी 466/84-2-2013-सीपी 22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा दी गई शर्तो पर दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक, यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें, चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ऊपर उल्लिखित पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक ''3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण'' के अंतर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत धनराशि से पूरित हो और अनुवर्ती अवधि जो लेखानुदान के अंतर्गत नहीं है, का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत धनराशि से उपलब्ध हो जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2015/सीपी 193(1)/84-2-2015, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव'यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड बुक

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या -6/2015/सीपी 193/84-2-2015-सीपी 22/88, दिनांक 27.02.2015 का संलग्नक

उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित पदों का सततीकरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा पद सृजित किय गये	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा अंतिम बार पद सततीकृत किये गये ।
1	2	3	4	5	6
1.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ।	टेलीफोन अटेंडेंट (अध्यक्ष आवास हेतु)	02	सीपी 750/29-8-95-सीपी 34/93 टीसी, दिनांक 28.08.1995	संख्या-48/सीपी466/84-2-2013-सीपी22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014
2	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ।	सफाई कर्मचारी (संविदा के आधार पर)	01	सीपी 1634/29-8-96-सीपी 22/96, दिनांक 27.02.1997	संख्या-48/सीपी466/84-2-2013-सीपी22/88, दिनांक 10 फरवरी, 2014

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।